न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/4/2016

उनवान

1. श्रीमती कमला विधवा बंशीलाल ओड निवासी रामाखेडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती काली पुत्री बंशीलाल ओड पत्नि लक्ष्मीनारायण ओड निवासी बडलियास तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
3. नारायण पिता बंशीलाल ओड निवासी रामाखेडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
4. उदयराम पिता बंशीलाल ओड निवासी रामाखेडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
5. गोपी लाल पिता अमरा ओड निवासी रामाखेडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. भैरू लाल पिता खेमा ओड निवासी रामाखेडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
2. श्रीमती सायरी बेवा खेमा ओड निवासी रामाखेडा तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक , सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा
4. रतन पुत्र नाथू लाल शर्मा निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. भैरू पुत्र नाथू लाल शर्मा निवासी सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के प्रकरण संख्या 119/2012 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.7.2015

अधिवक्तागण :—

1. श्री एम एल बापना, अधिवक्ता अपीलार्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. श्री महेश दाधीच अधिवक्ता प्रत्यर्थी सख्या 1, 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.8.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 के पति एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4 के पिता एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण ने ग्राम सोनियाणा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा स्थित साबिक आराजी नम्बर 30/1 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 31 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी नम्बर 33/1 ख रकबा 2 बीघा कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा लगानी 2 रूपये 2 आना, में से खातेदार ऊंकार, रूपा, चतरा,खेमा, परथु पिता गणेश ओड निवासी रामा का खेडा का सम्पूर्ण हिस्सा रकबा2 बीघा 5 बिस्वा बिल एवज 50,000/—रूपये में दिनांक 1.7.1995 को वादीगण ने पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया । विक्रय पत्र का पंजीयन विक्रेता खातेदारान ऊंकार, रूपा, चतरा,खेमा, परथु पिता गणेश ओड निवासी रामा का खेडा द्वारा वादीगण के पक्ष में उप पंजीयक कार्यालय सहाडा में करवा दिया गया । विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 26.9.1996 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा प्रथम द्वारा फैसल किया गया ।

2. भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान साबिक आराजियात के हाल आराजी नम्बर 741 रकबा 0.36 है0, आराजी नम्बर 732 रकबा 0.29 है0, बने। जिसमें से आराजी नम्बर 741 हीरालाल, नगजी पुत्र ऊंकार ओड एवं श्रीमती रामी, सोसर विधवा ऊंकार ओड के नाम पर दर्ज हो गये एवं हाल आराजी नम्बर 732 खेमा पिता गणेश ओड के नाम दर्ज हो गया तथा खेमा के इन्तकाल होने के बाद विरासत से खाता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गया। किन्तु कब्जा वादीगण का आराजी नम्बर 741 रकबा 0.36 है0 तथा आराजी नम्बर 732 के आंशिक रकबे 0.12 है0 पर कब्जा वादीगण का आज दिनांक तक चला आ रहा है। वादीगण ने उनके द्वारा क्रय की गई आराजियात अपने नाम पर दर्ज करवाने के लिए घोषणा, खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा के लिए उपखण्ड अधिकारी गंगापुर के न्यायालय में हीरा, नंगजी पिता ऊंकार ओड, श्रीमती रामी, श्रीमती सोसर, विधवा ऊकार ओड तथा राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया । जिसके प्रकरण संख्या 155/2002 दर्ज किये गये। जिसमें आराजी नम्बर 741 का पूरा रकबा 0.36है0, तथा आराजी नम्बर 270 रकबा 0.90 है0 में से0.12 है0 का राजीनामे से खातेदार काश्तकार घोषित करने की डिक्री दिनांक 28.2.2005 को पारित की गई थी। उसके बाद वादीगण द्वारा धारा 152 जाब्ता दीवानी का आवेदन पत्र पेश करके अधिनस्थ न्यायालय में निवेदन किया कि आराजी नम्बर 732 में सेरकबा 0.12 है0 के बजाय आराजी नम्बर 270 में से रकबा 12 है0 वाद पत्र में सहवन से अंकित हो गया था और उसी अनुरूप डिक्री भी हो गई थी। जिससे धारा 152 जाब्ता दीवानी का आवेदन पत्र दिनांक 28.3.2005 को स्वीकार होकर वादीगण के पक्ष में आराजी नम्बर 270 में से रकबा 0.12 है0 के बजाय आराजी नम्बर 732 रकबा 0.29 है0 में से 0.12 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर संशोधित डिक्री के आधार पर वादीगण के नाम पर इन्तकाल संख्या 64 के जरिये आराजी नम्बर 741 का पूरा रकबा व आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 कुल किता 2 रकबा 0.48 है0 दर्ज रेकार्ड किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा द्वारा श्रीमान् भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय में वादीगण तथा हीरा, नंगजी पिता ऊंकार व श्रीमती सोसर बेवा ऊंकार तथा राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाडा मुकाम गंगापुर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की,जिसका प्रकरण संख्या आरटीए/254/11 दर्ज होकर बाद बहस दिनांक 12.9.2012 को अपील स्वीकार हुई और माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे तथा आराजी नम्बर 732 के बाबत वाद पत्र भी नहीं था और न वादीगण ने आराजी नम्बर 732 में से रकबा 0.12 है0 अपने नाम दर्ज कराने की कोई दादरसी ही चाही थी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं संशोधित डिक्री दिनांक 28.3.2005 को निरस्त कर दिया। माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित विवेचन के अनुसार वादीगण आराजी नम्बर 732 रकबा 0.29 है0 में से 0.12 है0 जिसका नवीन नम्बर 732/1 बना है के खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने बाबत विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दावेदार है।

4. साबिक आराजी नम्बर 30/1, 31, 31/1 ख कुल किता 3 कुल रकबा 12 बीघा में से तत्कालीन खातेदार ऊंकार, रूपा, चतरा, खेमा, परथु पिता गणेश के हिस्से में अंकित 2 बीघा 5 बिस्वा पूरे रकबे को वादीगण ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के क्रय कर लिया था । ऐसी स्थिति में तत्कालीन खातेदारान अथवा उनके वारिसान के नाम पर दर्ज आराजियात में से रकबा 0.48 हैक्टर जो कि साबिक रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का बना है में साबिक खातेदारान अथवा उनके वारिसान के नाम पर कोई रकबा शेष नहीं रहता है। किन्तु भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान क्रय किया गया रकबा भी पुनः मूल खातेदारान के नाम पर दर्ज हो जाने से वादीगण को पूर्व में वाद पत्र संख्या 155/2002

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्तुत करना पडा। जिसमें से हाल आराजी नम्बर 741 रकबा 0.36 है0 तो वादीगण के नाम पर कायम रह गई, किन्तु हाल आराजी नम्बर 732 में से 0.12 है0 जिसका नवीन नम्बर 732/1 बना । जो संशोधित डिक्री दिनांक 28.3.2005 के जरिये वादीगण के नाम पर दर्ज तो हो गई, किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा अपील किये जाने से अपील संख्या 254/2011 से संशोधित डिक्री जिसमें 0.12 है0 का उल्लेख था जो निरस्त हो जाने से वादीगण को यह वाद पत्र प्रस्तुत करना पड रहा है। बिनाय वाद दिनांक 12.9.2012 जबकि भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की अपील को स्वीकार किये जाने से उत्पन्न होकर प्रतिदिन जारी है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 जो कि वर्तमान में वादीगण के नाम पर होकर वादीगण के ही कब्जे में है को अपने नाम पर करा वादीगण के कब्जे में दखल करना चाहते हैं। तथा उक्त आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 को हस्तान्तरित करने पर आमादा हो रहे हैं। जिससे उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने बाबत भी वादीगण दावेदार है।

5. अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के घोषणात्मक खातेदारी अधिकार के इस आशय की जारी फरमाई जावे कि ग्राम सोनियाणा तहसील सहाडा स्थित आराजीनम्बर 732 रकबा 0.29 है0 में से 0.12 है0 जिसका नवीन वर्तमान आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 बना है, के खातेदार काश्तकार वादीगण है। और साबिक खातेदारान तथा उनके वारिसान का साबिक नम्बरान के हाल नम्बरान का कोई रकबा शेष नहीं रहता है। बहक वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हाल आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 में वादीगण के कब्जेकाश्त में

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किसी प्रकार का दखल नहीं करें, न उक्त आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 को किसी प्रकार से हस्तान्तरित करे।

6. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण पारित अपीलाधीन निर्णय में वादीगण का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

7. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थीगण के अनुपस्थित रहने से अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट संख्या 1 से 4 के पूर्वज स्व0 बंशी लाल ओड व वादी अपीलाण्ट संख्या 5 ने ग्राम सोनियाणा तहसील सहाडा स्थित साबिक आराजी नम्बर 30/1 रकबा 7 बीघा12 बिस्वा, आराजी संख्या 31 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा,आराजी संख्या 33/1 रकबा 2 बीघा कुल किता 3 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा जो कि खातेदार ऊंकार, रूपा, चतरा, खेमा व परथू पुत्र गणेश ओड निवासी रामा खेडा के व अन्य के खातेदारी की थी उसमें से विक्रेतागण खातेदार ऊंकार, रूपा, चतरा, खेमा व परथू पुत्र गणेश ओड ने अपना हिस्सा 2 बीघा 6 बिस्वा बिल एवज 50,000/'–रूपये में पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये बंशी लाल व गोपी पिता अमरा ओड को दिनांक 19.7.1995 को विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया किया जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 273 दिनांक 26.2.1996 को विक्रेतागण का सम्पूर्ण हिस्सा बंशी, गोपी पुत्र अमरा ओड के नाम पर नामान्तरित हो गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि भू प्रबन्ध की कार्यवाही होने पर साबिक आराजी नम्बर 30/1, 31 व 33/1 ख के हाल आराज नम्बर 732, 736, 737, 738, 739, 740, 741 कायम किये गये व आपसी सहमति से हाल आराजी नम्बर 741 जिस पर वादीगण अपीलाण्ट्स का कब्जा था को पुनः ऊंकार ओड के वारिसान हीरा , नगजी, रामी व सोसर के नाम पर दर्ज कर दी । इस पर मृतक बंशी व गोपी पुत्र अमरा ओड की ओर से सन् 2001 में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलेक्टर, गंगापुर के न्यायालय में पेश किया जो प्रकरण संख्या 155/2001 दर्ज होकर दिनांक 28.2.2005 को राजीनामा से डिक्री हुआ। जिसके अनुसार हाल आराजी नम्बर 741 रकबा 0.36 है0 व आराजी नम्बर 270 रकबा 0.90 है0 में से 0.12 है0 का खातेदार राजीनामा से वादीगण को घोषित किया गया । उसके बाद वादीगण द्वारा धारा 152 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3.2005 को पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी नम्बर 270 में से 0.12 है0 के बजाय आराजी नम्बर 732 रकबा 0.29 है0 में से 0.12 है0 वादीगण के नाम दर्ज करने बाबत संशोधित डिक्री जारी हुई जिसके आधार पर जरिये इन्तकाल नॅम्बर 64 दिनांक 13.4.2005 से हाल आराजी नम्बर 732 रकबा 0.29 है0 में से 0.12 है0 वादीगण के नाम पर दर्ज हुई जिसका नया नम्बर 732/1 पडा है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट भैरू व सायरी द्वारा आराजी नम्बर 732/1 के बाबत माननीय न्यायालय में अपील संख्या 254/11 पेश की जो बाद बहस दिनांक 12.9.2012 को स्वीकार हुई व निर्णय अनुसार 741 व 732/1 खेमा ओड के नाम दर्ज हो गई। जबकि आराजी नमबर 741 बाबत प्रतिवादी संख्या 1

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

व 2 का कोई एतराज भी नहीं था न ही अपील ही थी । जिससे अपीलाण्ट के आवेदन करने पर आराजी नम्बर 741 रकबा 0.36 है0 अपीलाण्ट्स के नाम पर दर्ज हुई व आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 खेमा के बजाय विरासत से भैरू व सायरी के नाम दर्ज हुई। वादीगण अपीलाण्ट्स द्वारा 2 बीघा 6 बिस्वा जमीन खरीदी थी जिसका नया रकबा 0.48 है0 बनता था। जबकि वादीगण के नाम पर 0.36 है0 ही दर्ज होने से वादीगण ने आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 अपने नाम दर्ज कराने बाबत अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 16.11.2012 को प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 119/2012 दर्ज होकर प्रतिवादी भैरू व सायरी तथा तहसीलदार व उप पंजीयक की तामील जारी हुई। जिस पर दिनांक 22.1.2013 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की ओर से एडवोकेट श्री महेश दाधीच द्वारा वकालत नामा पेश किया व जवाब दावा हेतु मौका लिया गया । इस दौरान बंशी लाल ओड का इन्तकाल हो जाने से कायम मुकाम की कार्यवाही कराई गई व पत्रावली जवाब दावा हेतु लंबित रहीं । इसी दरमियान राजस्व लोक अदालत आयोजित की गई। जिसकी कोई सूचना अपीलाट को नहीं थी एवं राजस्व लोक अदालत गंगापुर में भैरू रेस्पोडेण्ट उपस्थित हुआ एवं बंशी की फर्जी निशानी अंकित कर कर दी गई जबकि बंशी ओड का इन्तकाल तो दिनांक 29.1.2013 को ही हो गया था। फिर दिनांक 16.7.2015 को बशी मृतक कैसे उपस्थित हो सकता था।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने दावे के लंबित रहते ही आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 को रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 को विक्रय कर दी एवं इन्तकाल नम्बर 382 दिनांक 30.12.2013 को विवादित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 732/1 रकबा 0.12 है0 रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 के नाम पर दर्ज हो गई । ऐसा पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया । जिसके आधार पर मातहत अदालत ने आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद खारिज कर दिया ।

12. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि धारा 52 सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के अनुसार दौराने दावा वाद वर्णित आराजी किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं हो सकती है। अपीलाण्ट का वाद 2012 से ही लंबित चल रहा था इस प्रकार वाद के लंबित रहते किसी भी प्रकार का हस्तान्तरण होना कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसी आधार पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.7.2015 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.7.2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण को अधिनस्थ न्यायालय में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड की जावे।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दिनांक 22.1.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिकार प्रस्तुत किया गया । दिनांक 9.9.2013 की आदेशिका का अवलोकन किया गया । जिसमें अंकित किया गया ''' अधिवक्ता उभयपक्षकारान

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उपस्थित। अधिवक्ता वादी द्वारा दिनांक 4.4.2013 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 जाब्ता दीवानी का पेश कर संशोधित उनवान पेश किया जा चुका है जिसे पूर्व में शामिल मिसल किया जा चुका है। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 12 व 16 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी पेश किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता वादीगण को दिलाई गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 22.10.2013 को पेश हो।

15. आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.10.2013 को प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 12 व 16 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी काजवाब अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया । अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 सी पी सी प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति अधिवक्ता प्रतिवादी का दिलाई गई। उक्त दोनों ही प्रार्थना पत्र क्रमशः आदेश 7 नियम 12 व 16 एवं सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी एवं आदेश 8 नियम 1 सी पी सी लंबित चल रहे थे। इन पर बाद विचारण कोई निर्णय पारित नहीं किया गया था। दिनांक 23.2.2015 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण जवाब में लंबित था एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.6.2015 को नियत की गई थी परन्तु दिनांक 8.6.2015 को कोई आदेशिका नहीं लिखी गई। सीधे ही दिनांक 16.7.2015 को प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प सोनियाणा मुकाम गंगापुर पर रखा गया । आदेशिका के अनुसार वादीगण उपस्थित नहीं प्रतिवादी भैरू उपस्थित । पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद पत्र खारिज किया ।

16. हमनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। पूर्व में अपीलाण्टगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया था। जिसका निर्णय दिनांक 28.2.2005 को हुआ तथा डिक्री जारी होने के बाद संशोधित डिक्री दिनांक 28.3.2005 को जारी की गई। इस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के समक्ष अपील संख्या 254/2011 प्रस्तुत की गई। जिसका निर्णय दिनांक 12.9.2012 को किया गया । तत्समय निर्णय अनुसार अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और संशोधित डिक्री दिनांक 28.3.2005 को निरस्त किया गया । ऐसी स्थिति में पुनः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने तथा न्यायालय हाजा के समक्ष उन्हीं खसरा नम्बरान से संबंधित नवीन अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत विवेचन किये जाना है। परन्तु अपील में अपीलार्थीगण द्वारा इस बाबत कोई उजर प्रस्तुत नहीं किया गया है । विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी भी लंबित है। जिसमें इसी बिन्दु पर विवेचन होना है। अपील मेमों में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के विधि अनुकूल नही होने तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना तथा अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना कैम्प कोर्ट में निर्णय पारित करने को चुनौती दी गई है। अतः अपील मे चाहे गये अनुतोष की हद तक ही अपीलाधीन प्रकरण में निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। मेरा विनम्र अभिमत है कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को मात्र राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निस्तारण की संख्या बढाने की बजाय गुणावगुण पर समुचित आदेश पारित करना चाहिये था।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

17. दिनांक 8.6.2015 नियत तारीख पेशी को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं प्रकरण को सीधे ही तारीख दिनांक 16.7.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प सोनियाणा मुकाम गंगापुर पर रखा गया । प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प सोनियाणा मुकाम गंगापुर पर रखे जाने से पूर्व उभयपक्ष को सूचना पत्र भी जारी नही किया गया । जिससे अपीलार्थीगण को कैम्प में नियत तारीख पेशी की जानकारी नहीं हो पाई एवं वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । अपीलाधीन प्रकरण वास्ते जवाब हेतु लंबित था ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रथमतः प्रकरण में लंबित प्रार्थना पत्रों प्रार्थना पत्रों का विधिक प्रक्रिया अपनाकर निस्तारण करते । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बगैर ही तथा लंबित प्रार्थना पत्रों को निर्णित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। दिनांक 16.7.12015 की आदेशिका अनुसार वादीगण की अनुपस्थिति दर्शायी गई है। वादीगण की अनुपस्थिति में प्रकरण को मेरिट पर कैम्प कोर्ट में निर्णित किया जाना विधिक प्रक्रिया की पालना में नहीं माना जा सकता । संलग्न अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलाधीन प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखे जाने की कोई विधिवत सूचना उभयपक्षकारान को नही दी गई है। उसके बावजूद भी प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में रखा गया जिसमें वादीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के उपरान्त बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

18. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.7.2015 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर गुणावगुण पर तनकीवाईज विस्तृत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9-10-19 को उपस्थित रहें।

19. निर्णय आज दिनांक 21.8.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/8/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा